ONE RUPEE Re.1 INDIA FEE · TWO RUPEES Rs.2 INDIA FEE · TWO RUPEES Rs.2 INDIA FEE · TEN RUPEES Rs.10 INDIA FEE

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१४ निगरानी R-3510-I/14

धर्मेन्द्र कुमार त्रि रामसेवक किरोला,
निवासी-अमानगंज, तेहसील अमानगंज,
जिला- पन्ना-मध्यप्रदेश ।

--------प्रार्थी

श्री एस० के० अवस्थी, अभि० द्वारा आज दि. 15-10-14 को प्रस्तुत
15.10.14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
4.55 P.M

बिरुध्द

श्रीमती रामफूल पुत्री छोटेलाल,
निवासिन- ग्राम पतरा, तेहसील-अमानगंज,
जिला - पन्ना (मध्यप्रदेश) ।

------ प्रतिप्रार्थी

अ०उ०अ० १५/१०/१४

निगरानी बिरुध्द आदेश तेहसीलदार महोदय, गुनौर जिला पन्ना, दिनांक ३०-६-१४, प्र०क्र० २६/अ-६-अ/१३-१४, अन्तर्गत धारा ५०- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १६५६ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि तेहसील न्यायालय में प्रतिप्रार्थी की साक्ष्य हेतु पेशी दिनांक ६-८-१४ नियत थी, तथा प्रतिप्रार्थी की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश १८ नियम ४ के अन्तर्गत शपथ पत्र पूर्व से ही प्रस्तुत किये जा चुके थे जिस पर प्रार्थी धर्मेन्द्र की ओरसे प्रतिपरीक्षण किया जाना था । प्रार्थी की ओर से नवीन अभिभाषक महोदय पन्ना के न आने के कारण प्रति परीक्षण हेतु समय की मांग

...../स्थिति //

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3510–एक/2014 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–12–2014	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0अवस्थी व अनावेदक अधिवक्ता श्री ओ0पी0शर्मा उपस्थित । प्रकरण में ग्राह्यता पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना गया तथा तहसीलदार तहसील गुनोर जिला पन्ना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2014 का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के द्वारा आवेदक का इस आधार पर साक्ष्यों के प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया गया है कि प्रकरण अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु अंतरण से पूर्व तहसील न्यायालय में उनके साक्ष्यों का अवसर समाप्त कर दिया था अतः प्रकरण अंतरित होने के उपरांत प्रकरण में पुनः निर्णय नहीं ले सकते हैं । अनावेदक अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक अधिवक्ता का पूर्व में ही प्रतिपरीक्षण के लिये कुछ नहीं पुछना कहकर अपना अवसर समाप्त कर चुका है। आवेदक अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि न्यायालयीन प्रकिया अविश्वास के कारण ही उन्होंने प्रकरण अन्य न्यायालय में अंतरित करने का अनुरोध किया जो स्वीकार हुआ है । प्रकरण में सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुये न्यायहित में विचारण न्यायालय को आदेश दिये जाते हैं कि वह आवेदक को एक अवसर साक्ष्यों के प्रतिपरीक्षण का उपलब्ध कराये । इन निर्देशों के साथ इस प्रकरण का अंतिम निराकरण इसी स्तर पर किया जाता है । **प्रशासकीय सदस्य**	